





International  
Labour  
Organization



# पत्थर खदान मज़दूरों के लिए स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा पुरितका



## स्वत्वाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2016

प्रथम प्रकाशन 2016

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के प्रकाशनों को सार्वभौमिक स्वत्वाधिकार सन्धिपत्र की प्रोटोकॉल सं. 2 के अन्तर्गत स्वत्वाधिकार प्राप्त है। तथापि, इनके संक्षिप्त अंशों को बिना प्राधिकरण के पुनरुत्पादित किया जा सकता है बशर्ते ओत इंगित किया जाए। पुनरुत्पादन अथवा अनुवाद के अधिकार प्राप्त करने के लिए, ILO Publishing (Rights and Licensing), International Labour Office, CH—1211 Geneva 22, Switzerland पर अथवा ईमेल: [rights@ilo.org](mailto:rights@ilo.org) पर आवेदन भेजा जाना चाहिए। आईएलओ इस प्रकार के ओवेदनों का स्वागत करता है।

पुनरुत्पादन अधिकार संगठनों के साथ पंजीकृत पुस्तकालय, संस्थान एवं अन्य प्रयोक्ता, इस प्रयोजन से उन्हें जारी किए गए अनुज्ञा—पत्रों के अनुसार प्रतिलिपियाँ निर्मित कर सकते हैं। अपने देश में पुनरुत्पादन अधिकार संगठन के विषय में जानने के लिए कृपया [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) पर पढ़ारें।

---

## आईएलओ—आईपीईसी

पत्थर खदान श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाल—श्रम उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईसी), मौलिक सिद्धान्त एवं कार्य के अधिकार शाखा (फण्डामेन्टलस), नई दिल्ली : आईएलओ 2016

आईएसबीएन: 978-92-2-830799-3 (मुद्रण) 978-92-2-830800-6 (पीडीएफ)

International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour, Fundamental Principles and Rights at Work Branch

Occupational Safety / Occupational health / miner / mine / protective equipment / work environment / child labour – 13.04.2

अंग्रेजी में भी उपलब्ध: Safety and Health for sandstone mine workers, आईएसबीएन 978-92-2-130799-0 (मुद्रण): 978-92-2-130800-3 (वेब पीडीएफ) नई दिल्ली

आभार

इस प्रकाशन को सेंटर फॉर वर्क्स मैनेजमेंट ने आईएलओ आईपीईसी एवं इण्डस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के लिए निर्मित किया है, और इण्डस्ट्री ऑल दिल्ली ऑफिस, आईएलओ दिल्ली ऑफिस एवं आईएलओ-आईपीईसी, जिनेवा ऑफिस के समन्वय में हुआ है।

अनुसंधान दल में दित्थी भट्टाचार्या, मनोदीप गृहा एवं शक्ति हरिणगर्भा समिलित थे, जिसमें इन्हें बंदी-कोटा के दिनेश शर्मा का सहयोग प्राप्त हुआ है।

इस प्रकाशन आवश्यक के लिए अनुदान सहायता आयरिश एड (Project GLO/13/57/IRL) के माध्यम से हुई है। यह प्रकाशन आवश्यक नहीं है कि आयरलैण्ड की सरकार के विचारों एवं नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है, ना ही किसी व्यवसाय का उल्लेख, वाणिज्यिक उत्पादों या आईरलैण्ड की सरकार द्वारा संगठनों को इंकित समर्थन करती है।

आईएलओ प्रकाशनों में प्रयोग होने वाले पदों, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रचलन के अनुरूप हैं एवं इसमें निहित सामग्री के प्रस्तुति, विचारों के किसी भी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करती है, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से संबंधित किसी भी देश कानूनी स्थिति, क्षेत्र या प्रदेश या उसकी सत्ता या उसकी सीमाओं के परिसीमन के विषय में है।

हस्ताक्षरित लेख, अध्ययनों एवं अन्य योगदानों में व्यक्त किए गए विचार की पूरी जिम्मेदारी लेखकों के पास में है, एवं प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचारों का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय पुष्टि नहीं करता है।

कम्पनियों, वाणिज्यिक उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के लिए दिए गए संदर्भ की पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय नहीं करता है एवं किसी विशेष कम्पनी, वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख करने में विफलता, अस्वीकृति की निशानी नहीं है।

आईएलओ के प्रकाशन एवं डिजीटल उत्पादों के प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं एवं डिजीटल वितरण प्लेटफार्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या [ilo@turpin-distribution.com](mailto:ilo@turpin-distribution.com) से सीधे आदेश दे कर।

अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट पर जाएँ: [www.ilo.org/publications](http://www.ilo.org/publications) या सम्पर्क करें [ilopubs@ilo.org](mailto:ilopubs@ilo.org).

हमारे वेबसाईट पर जाएँ: [www.ilo.org/childlabour](http://www.ilo.org/childlabour)

## फोटोग्राफ कॉपीराईट शक्ति हरिण्यगर्भा

चित्रण कॉपीराईट निधिन डोनाल्ड शोभना

भारत में मुद्रित

इस पृष्ठ को स्वेच्छा से रिक्त छोड़ा गया है

प्रस्तावना	1
खटान	6
खटानों में जरूरी पहचाना	7
सड़फ़	8
विस्फोट	9
डिलिंग	10
मलबा	12
पथर टोडना	14
भार ढोना	16
खटानों में बच्चे	18
सामाजिक सुरक्षा	22
आक्सर पूछे जाने वाले सवाल	25
खटान अधिनियम	26

# दुर्घटनाएँ किन करणों से होती हैं?



क्यों  
क्यों  
क्यों

मज़दूर  
अकुशल था

मज़दूर का  
ध्यान नहीं था

यह एक इंसानी  
गलती थी

कोई भी इंसान चाहे वह कितना भी कुशल हो,  
दिन के 8 घण्टे 60 मिनट 60 सकंड 28800 सेकंड  
ध्यान लगा कर काम नहीं कर सकता

खास कर जब वह बिना किसी आराम के  
लगातार एक जैसा ही उबाड़ काम कर रहा हो

क्या यह  
आपकी गलती है?

नहीं  
बिलकुल नहीं

फिर  
यह किसकी गलती है?

## प्रस्तावना

कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण यह है की मालिक सुरक्षा उपायों पर खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा होने पर इन दुर्घटनाओं के लिए मालिक आम तौर पर मज़दूरों को दोषी ठहराते हैं। कार्यस्थल की दुर्घटनाओं को मज़दूर की व्यक्तिगत गलती बताया जाता है जैसे इसमें कार्यस्थल की कमियों या कंपनी का कोई दोष हो ही नहीं। आंकड़े भी यही बताते हैं की ये दुर्घटनाएं प्रमुख रूप से इंसानी गलतियों की वजह से ही होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आंकड़े दुर्घटना की जड़ तक जा कर पता नहीं लगाए जाते बल्कि उन कारणों को सच मान लिया जाता है जिनका इस्तेमाल मालिक अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए करते हैं।

कार्यस्थल का सुरक्षित होना इस बात पर निर्भर करता है कि मज़दूरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, औज़ार, सामग्री और उनके काम की स्थिति और नियोजन कितने सुरक्षित हैं। किसी कार्यस्थल पर सुरक्षा तभी सुनिश्चित कि जा सकती है जब वहाँ के हर मज़दूर को सुरक्षित कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित किया जाए और प्रबंधन भी मज़दूरों की सुरक्षा को उत्पादकता से ज्यादा अहमियत दे।

कोई भी इंसान ट घंटे के कार्य दिवस में प्रत्येक ६० मिनट के प्रत्येक ६० सेकंड बिना ध्यान भटके काम नहीं कर सकता। यह मानवीय रूप से असंभव है। इसके अलावा उत्पादकता और रफतार बढ़ाने के लिए हर मज़दूर को एक ही काम लगातार बिना किसी विराम के करना पड़ता है। पथर तोड़ते हुए, छेनी के चूकने लगने वाली चोटों का कारण भी यही है कि इंसानों को बिना कुछ सोचे लगातार मशीनों की तरह काम करना पड़ता है। दिन ढलने के साथ ही थकान बढ़ती जाती है और ध्यान भटकने लगता है। राजस्थान के खदानों में ध्यान भटकने का एक मुख्य कारण यहाँ का तापमान भी है। शाम के वक्त जब काम करने की क्षमता कम होती जाती है, निर्धारित काम को ख़त्म करने का दबाव बढ़ता जाता है। इस समय ठेकेदार भी ज्यादा काम की मांग करते हैं। एक थके हुए शरीर और मन से दिन के अंतिम क्षणों में काम पूरा करना और मुश्किल हो जाता है। ओवरटाइम करते हुए ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जिससे ओवरटाइम के वक्त दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। काम के दबाव और थकान की वजह से गलतियाँ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और यही वह समय है जब ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं।  
दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि:-

मालिक कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने पर खर्च नहीं करते - सामूहिक सुरक्षा उपकरणों की अनंदेशी की जाती है

मालिक ज्यादा उत्पादकता की मांग करते हैं - मालिकों द्वारा काम का लक्ष्य पूरा ना करने पर तंग किया जाता है

मज़दूर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लम्बे समय तक लगातार एक जैसा ही उबाऊ काम करते हैं

## इस सब का उपाय क्या है?

सामूहिक सुरक्षा में निवेश यह सुनिश्चित करेगा की यदि किसी व्यक्ति से इंसानी गलती हो भी जाती है तो कोई गंभीर दुर्घटना ना हो। उदाहरण के तौर पर, यदि खदान में विस्फोट होना हो तो सभी लोगों को सुरक्षा कक्ष में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे लोगों को चोट लगने से बचाया जा सकता है। इसी तरह यदि विस्फोट कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कार्यस्थल पर सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि प्रबंधन कर्मचारियों की शिक्षा, सुरक्षा कमरे और कार्य के कुशल नियोजन पर निवेश करे।

### खदानों को सुरक्षित बनाना प्रबंधन की जिम्मेदारी है

## फिर मालिक इस समाधान को क्यों नहीं अपनाते?

मालिकों का दुर्घटना पर होने वाला खर्च, कार्यस्थल सुरक्षा पर होने वाले निवेश की तुलना में बहुत ही कम होता है। अन्य मज़दूरों की तरह ही कोटा-बूंदी इलाके के पथर खदान मज़दूर भी दुर्घटना होने पर अपने मालिकों को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाते क्योंकि :

- कोई सबूत नहीं है की उनका मालिक कौन है ;
- कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है ;
- रोज़गार का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है ;

इसलिए खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं में मालिक का होने वाला खर्च न के बराबर है और दुर्घटना होने पर सारा खर्च मज़दूरों को खुद ही उठाना पड़ता है।

यदि मज़दूरों के पास अपने कर्मचारी होने का सबुत हो और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिले तब भी साल में होने वाली १०० दुर्घटनाओं पर मालिक का होने वाला कुल खर्च, सम्मिलित रूप से बचाव उपकरणों पर होने वाले खर्च की तुलना में ना के बराबर होगा क्यूंकि मज़दूरी भत्ता और दुर्घटना मुआवज़ा बहुत ही कम है। ऐसी कार्यव्यवस्था जहाँ सुरक्षा नियमों के पालन का ढांचा प्रभावहीन एवं अप्रवर्तनीय हो और इंसानी जिंदगी का कोई मूल्य ना हो वहाँ मालिक स्वयं दुर्घटनाओं से बचाव की दिशा में कोई पहल नहीं करेंगे।

## दुर्घटनाओं को मालिकों के लिए महंगा कैसे बनाएं

**श्रमिकों द्वारा मजबुत संघठन बनाया जाए**

मालिक के लिए खर्च :


**मज़दूरी+सामाजिक सुरक्षा+सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल**

दुर्घटनाओं को मालिकों के लिए महंगा बनाने के लिए:

**मज़दूरी बढ़ानी होगी+सामाजिक सुरक्षा सुधारनी होगी+कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना होगा**

काम के वर्तमान स्वरूप को दलने के लिए और मज़दूरी का सही दाम पाने के लिए संगठन बनाने की आज़ादी और सामूहिक सौदेबाजी कर सकने की क्षमता होना मौलिक ज़रूरतें हैं।

लेकिन, असंगठित क्षेत्रों में संगठन बना पाना एक मुश्किल काम है। पथर खदानों में काम करने वाले ज्यादातर मज़दूर आस—पास के क्षेत्रों के प्रवासी मज़दूर होते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो यहाँ दो दशक से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं फिर भी वे गैर—कानूनी अस्थायी घरों में रहते हैं। निगम द्वारा इन घरों के हटाये जाने का खतरा भी बना रहता है। काम का स्वरूप भी अस्थायी होता है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है पथर खदानों में पानी भरने के कारण काम बंद हो जाता है। इस बेरोज़गारी के कारण ही मज़दूर मालिकों और बिचौलियों से पैसे लेने पर मज़बूर हो जाते हैं। पैसे उधार लेने के कारण मज़दूर फँस जाते हैं और इस रिति से निकलना मुश्किल हो जाता है। बेरोज़गारी, उधार और घर से निकाले जाने आदि के डर से मज़दूर संगठनों से नहीं जुड़ना चाहते।



**श्रमिक संगठन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को संगठन का मुद्दा कैसे बना सकते हैं?**

असंगठित मज़दूर, खास कर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रोज़गार सामाजिक रिश्तों पर निर्भर होते हैं, संगठन के आम मुद्दों से खुद को जुड़ा हुआ नहीं पाते। ऐसे कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुद्दा मज़दूरों को संगठित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़दूरों को अपने कार्यस्थल पर ज़रूरी चीज़ों की मांग करने की राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए। इससे:

- मज़दूरों को आपस में संगठित होने की शक्ति का एहसास होता है
- मज़दूरों को मालिक के सामने अपनी मांग रखने की क्षमता का विकास होता है
- मज़दूरों की व्यक्तिगत क्षमता का विकास होता है और उनके बीच से ही लीडर निकल कर आते हैं जो आगे चल कर मालिकों के सामने अपनी मांगें रख सकें और सौदेबाजी कर सकें

एक लोकतांत्रिक श्रमिक संगठन की ओर

**पहला:** मज़दूरों को अपनी मुश्किलें समझने में मदद करें। काम से जुड़ी बिमारियों और खतरों को समझने के लिए, खदान के भिन्न विभागों में काम करने वाले मज़दूरों के साथ मिलकर कार्यस्थल का मानचित्रण करें।

**दुसरा:** मज़दूरों को उनके काम से जुड़ी सामाजिक परेशानियों को समझने में मदद करें।

**तीसरा:** मज़दूरों की भागीदारी से उनकी परेशानियों की एक सूची बनाएं और उन्हें महत्वपूर्ण समस्याओं को प्राथमिकता देने में सहयोग करें।

**चौथा:** सरकार और मालिकों से साथ पहचाने गए मुद्दों पर सामूहिक सौदेबाजी करें।

मज़दूरों को आगे की बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करने और जीत का हौसला दिलाने के लिए छोटी—छोटी लड़ाइयां जीतते रहना बहुत ज़रूरी है।

इसीलिए ज़रूरी है की ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाये जाएं जिनसे सबको परेशानी होती हो और जिनमें मालिकों से आसानी से जीता जा सके। कार्यस्थल पर पीने के साफ़ पानी का अभाव एक ऐसा मुद्दा है जो सबको परेशान करता है और जिससे मालिकों का बच पाना मुश्किल है। यह मज़दूरों के साथ बातचीत आगे बढ़ाने का एक अच्छा मुद्दा बन सकता है। खदानों में बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा भी ऐसा ही एक मसला है जिसका इस्तेमाल श्रमिक संगठन कर सकते हैं।

## श्रमिक संगठन क्या करें

### मज़दूर शिक्षण

काम से गुड़े रवतरों  
के बारे में

कार्यस्थल पर मज़दूरों  
के अधिकारों के बारे  
में

संगठन से गुड़ने और  
सामूहिक मोल-भाव  
की ज़रूरत के बारे में

सामाजिक सुरक्षा  
योजनाओं के बारे में

### अभियान

रवतरनाल काम से  
बचाव के लिए

जांच अधिकारीयों  
द्वारा रवदान की जांच  
के लिए

रवावस्था एवं सुरक्षा  
समितियों का गठन

रवावस्था एवं सुरक्षा  
सुनिश्चित के लिए  
कदम उठाये जाएं

### नियंत्रण

पहचान पर्ज, हाजरी  
रजिस्टर और  
कार्यस्थल पर  
मज़दूरों के सुरक्षा

कार्यस्थल पर रवतरों  
की

सामाजिक सुरक्षा  
योजनाओं के पालन  
होने की

असुरक्षित काम बंद करें

इस पृष्ठ को स्वेच्छा से रिक्त छोड़ा गया है

आगे के खण्डों में वित्रों के माध्यम से पत्थर खदानों की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है और इस स्थिति को बदलने के उपाय सुझाए गए हैं।

खदान की सीमा को सही तरीके से घेरा और विनिःहत किया जाना चाहिए

जब खदान की गहराई बढ़ जाती है तो पत्थर लाने ले जाने के लिए सड़कें बनायी जाती हैं


पत्थर के पहुँचों को विस्फोटकों से विस्फोट कर तोड़ा जाता है

ब्लाक जिन्हे बाहर नहीं ले जाया जाएगा उन्हे खदान क्षेत्र के भीतर छोटे फरसों में तोड़ दिया जाता है।

जमे हुए पानी को नियमित रूप से बाहर निकाला जाता है

मलबे को एक कोने में एकत्रित किया जाता है जहां से उसे खदान से बाहर फेंका जा सके

# हर खदान मालिक सुनिश्चित करे कि मज़दूरों को मिले



गर्मी से बचने के लिए  
नियमित अंतराल पर आराम

पीने के लिए साफ पानी

महिलाओं और पुरुषों के लिए  
अलग-अलग शौचालय  
और विश्राम कक्ष

कैटीन

६ साल से कम उम्र के बच्चों  
के लिए छिंशु पालन कक्ष

प्राथमिक सुरक्षा कक्ष

सुरक्षा अधिकारी

४० साल की उम्र तक हर २  
साल में स्वास्थ्य जांचा  
उसके बाद वार्षिक जांच

# सड़कें

धूल मिट्टी से बचाव और गाड़ियों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए खदान क्षेत्र की सभी सड़कों का पतका होना जरूरी है। सॉस की बिमारियों जैसे सिलिकोसिस, टी बी आदि का कारण धूल ही है।



पत्थरों में विस्फोट करना एक खतरनाक प्रक्रिया है। इसमें मज़दूरों और खदान के आस-पास मौजूद लोगों को गंभीर चोट लग सकती है और जान जाने का भी खतरा रहता है।

खदानों में आमतौर पर विस्फोट अकुशल मज़दूरों द्वारा बिना किसी परवेशण में कराये जाते हैं। सुरक्षा नियमों की भी अनदेखी की जाती है।

पत्थर के टुकड़ों से बचने के लिए कॉव का सुरक्षा कमरा। इससे धूल और शोर से भी बचाव होता है।

जिस क्षेत्र में विस्फोट होना है उसे स्थानीय भाषा में और वित्रों के साथ विनिहत किया जाना चाहिए।


विस्फोट हमेशा कुशल और अनुभवी कर्मियों द्वारा प्रशिक्षित नियोक्ताओं की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।

खदान में मौजूद सब लोगों को विस्फोट के तय समय और सुरक्षा विधि की जानकारी होनी चाहिए।

जिस क्षेत्र में विस्फोट होना है उसे उचित सिङ्गल दे कर खाली करवा लेना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए की विस्फोट से पहले सारे लोग सुरक्षा कक्ष में समिलित हो जाएं।







## मलबा


सर ढका हुआ नहीं होने से  
वोट लगाने का खतरा बढ़ता है

ज़ुक कर काम करने  
से पीठ में दर्द होता है

छायों से आरी पत्थरों को फेंकने से वोट लग  
सकती है और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है

लगातार सर पर आरी लोड़ा ढोने से  
मांसपेशियों में दर्द की  
समस्या बढ़ती है

नंगे पांव काम करने से  
वोट लगाने के खतरे बढ़ते हैं



# पत्थर तोड़ना



हेलमेट: जिससे सर में लगने वाली चोटों से बचा जा सके

1

कन्हेप्पी: शोर से बचने के लिए। शोर से बहरापन और तनाव होता है

सुरक्षा चश्मे: नुकीले पत्थरों और धूल से ऊँखों के बचाव के लिए

2

मारक: धूल से बचाव के लिए। सांस की बिमारीयाँ जैसे टी.बी और सिलिकोसिस आदि धूल से ही होती हैं।

दस्ताने: मशीन से होने वाली रगड़ से हाथों को बचाने के लिए

5


सुरक्षा कवच: टूटे हुए पत्थरों से बचाव के लिए

6

ऑटोमैटिक तरळा: जिससे पत्थर तोड़ने में आसानी हो और काम की मुद्रा की वजह से पीठ दर्द ना हो

8

सुरक्षा जूते: छोटे और नुकीले पत्थरों से पांव के बचाव के लिए




## आर ढोना

आरी पत्थरों के उठाकर एक जगह से दुसरी जगह ले जाने से मांसपेशियों में दर्द होता है।  
इस काम का मशिनिकरण होना चाहिए।



पत्थरों को उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए



## खदानों में बच्चे

राजस्थान के कोटा-बूंदी इलाके के पत्थर खदानों में काम करने वाले ज्यादातर मज़दूर अपने परिवार के साथ खदानों में या उसके आस-पास रहते हैं। इनमें से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो काम की उपलब्धता होने पर अन्य राज्यों या ज़िलों से यहाँ आते हैं। ये प्रवासी मज़दूर आम तौर पर खदानों में ही अस्थायी घरों में रहते हैं। ये अस्थायी घर खदान मालिकों द्वारा उन खदानों में बनवा दिए जाते हैं जिनमें उस समय खुदाई का काम नहीं चल रहा होता है।

सुबह जब बड़े काम पर चले जाते हैं तो वो बच्चों को इन्हीं अस्थायी घरों में छोड़ जाते हैं। माताएं ३ साल तक के बच्चों को अपने साथ गोद में ही ले कर काम पर चली जाती हैं। अगर ऐसे छोटे बच्चों के बड़े भाई-बहन होते हैं तो इन्हे उनकी निगरानी में घर पर छोड़ दिया जाता है। अधिकतर यह काम घर की बड़ी लड़कियों के जिम्मे आता है इसकी वजह से इन किशोरियों का बचपन समय से पहले ही खत्म हो जाता है।

मुख्य रूप से किशोर अपने पिता के साथ काम सीखने के उद्देश्य से खदानों में जाते हैं।

अतः पत्थर खदान में मौजूद बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है—

- (अ) शिशु जिनहें माताएं अपने साथ काम पर ले जाती हैं;
- (ब) किशोर जो मुख्य रूप से अपने माता-पिता के साथ काम सीखने के लिए खदानों में जाते हैं

अतः खदानों में बच्चों को जिन बातों का खतरा है उनहें भी निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है—

- (अ) खदानों के आस-पास रहने के कारण होने वाले खतरे;
- (ब) खदानों में होने वाले कार्यनियोजन की वजह से होने वाले खतरे

## खदानों में नवजात और शिशु

माताएं जब शिशु को अपने साथ काम पर लाती हैं तो वो बच्चे आम तौर पर अपनी माँ के आस-पास ही रहते हैं। महिलाएं अधिकतर मलबे की साफ़ सफाई का काम करती हैं जहाँ नुकिले पत्थरों और धूल का खतरा रहता है। बच्चे सीधे तौर पर काम

में तो हाथ नहीं बटाते पर माँ के साथ रहने के कारण धूल और अन्य खतरों का सामना करते हैं।

**धूल के जोखिम** — शिशु और बच्चे लगातार धूल का सामना करते हैं जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इससे उनका प्राकृतिक विकास नहीं हो पाता है। इससे फेफड़े की बीमारियां जैसे सिलिकोसिस, न्यूमोकिनिओसिस और टी बी जैसी बीमारी का खतरा रहता है।

**चोट लगने की संभावनाएं** — बिना किसी संरक्षण या आश्रय के ये बच्चे खदान क्षेत्र में होते हैं जिससे इन्हे छोटी-मोटी या गंभीर चोटें लगने का खतरा भी रहता है। यह नन्हे बच्चे खेलते-घूमते ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जहाँ पत्थर तोड़े जा रहे हों या विस्फोट होने वाला हो, वहाँ इन बच्चों को गंभीर चोटें लगने का खतरा रहता है।

**शोर का जोखिम** — ड्रिलर या विस्फोटक की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। इससे बच्चों में बहरापन हो सकता है। ऐसे शोर का उनके विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है और जीवन भर के लिए ध्यान लगाने की शक्ति ख़त्म हो सकती है।

**गर्भी** — गर्भी के दिनों में पत्थर खदानों में तापमान 42—48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पीने के पानी की कमी और छत या छाँव न होने की वजह से बच्चों को गर्भी में लू लग सकती है और मौत भी हो सकती है।

## किशोर जो काम पर जाते हैं

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसने बच्चों के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों को बचाने के तरीके सुनिश्चित किये। यह अधिवेशन 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में परिभाषित करता है। इसके साथ ही आर्थिक शोषण से बचाव (धारा 32), शिक्षा का अधिकार (धारा 28) और बच्चों के मौलिक अधिकार परिभाषित करता है जो सर्वत्र मान्य हैं।

### अधि 138-न्यूनतम आयु अधिवेशन, 1973

काम पर लगाने की न्यूनतम आयु  
सामान्य काम में: 15 साल और काम के लिए  
13 साल  
खतरनाक काम में: 18 साल और व शर्तों के  
साथ 16 साल में  
विकासशील देशों में: 14 साल और काम के  
लिए 12 साल  
भारत ने इसे स्वीकृत नहीं किया है

### अधि 182-बालमजदूरी के निष्पत्तम रूप अधिवेशन, 1999

18 वर्ष से कम उम्र वालों को “बच्चे” परिभाषित किया गया है।  
यह मांग करता है कि निम्न विजें खत्म हों  
—किसी भी प्रकार की गुलामी  
—बेगारी और बंधुआ मज़दूरी  
—ऐसे काम जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक विकास को खतरा हो  
भारत ने इसे स्वीकृत नहीं किया है

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार अधिनियम को पारित किया है।  
श्रमिक संगठनों को चाहिए की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138वें एवं 182वें अधिवेशन के स्वीकृती की माग करें।

### भारतीय अधिनियम

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 बाल मज़दूरी के कुछ प्रकारों पर रोक लगाता है और किशोरों के रोज़गार के नियम निर्धारित करता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो उसकी गिनती बच्चों में होती है। अधिनियम के अनुसार खदानों में किया जाने वाला काम खतरनाक काम की श्रेणी में आता है अतः 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को भी खदानों में काम करने की मनाही है।

ऐसे किशोर जो अपने पिता के साथ काम सीखने खदानों में जाते हैं वे उन्ही सब समस्याओं का सामना करते हैं जिनका सामना एक वयस्क मज़दूर करता है। तेज़ धूप, गर्मी और धूल के कारण इन किशोरों का सही शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बलपूर्वक रोज़गार में धक्केले जाने की वजह से ऐसे किशोर खुद को लाचार पाते हैं और पारिवारिक मज़बूरियों एवं गरीबी के कारण काम छोड़ भी नहीं पाते हैं। स्कूली शिक्षा और किसी भी प्रकार का कौशल ना होने के कारण इन किशोरों के पास माता-पिता के साथ काम पर जाने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं होता। ऐसे में इन किशोरों की सुरक्षा और बाल श्रम खत्म करने के लिए चरणबद्ध कदम उठाने की आवश्यकता है।

खदान अधिनियम 1952 के तहत किशोरों को तभी काम पर रखा जा सकता है जब निम्न शर्तें पूरी की जाएँ:

उसके पास प्रमाणित कर सकने वाले विभिन्नक का प्रमाण पत्र हो की वह एक वयस्क के रूप में काम कर सकने में सक्षम है और खदान प्रबंधक की कशल निवारनी में है

काम पर यह सावित करने को उसके पास एक टोकन हो जिसे वो हरदम साथ रखता हो

किसी श्री दिए अए दिन पर उसे लमातार साके वार घटे काम करने पर आये घटे की छुट्टी मिलती हो

**खदान के किसी श्री दोष में किसी श्री किशोर को काम करने की अनुमति नहीं है जब तक**

उसके काम करने का समय किसी श्री दिए अए दिन पर साके वार घटे से ज्यादा ना हो

उसके काम का समय सुबह के 6 बजे ये लेकर शाम के 6 बजे के बीच का ही हो


काम की अवधी दो भावों बाटी जा सकती है। दोनों अवधियां आपस में जुड़ी नहीं हो सकती ना ही सम्मिलित रूप से पांच घण्टे से अधिक हो सकती हैं

### पीढ़ियां जो खदानों की भेंट चढ़ गयीं

वो बच्चे जो खदानों में बड़े होते हैं, वे आखिरकार खदानों में ही काम करने लगते हैं। ज्यादातर मज़दूर आस-पास के गावों से आए हुए प्रवासी होते हैं अतः बच्चों का जीवन ही अपनी माँ के साथ खदान पर जाने से शुरू होता है। जब ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो इन्हें अपने बड़े भाई-बहनों के साथ घर पर ही छोड़ दिया जाता है। किशोर होते ही ये बच्चे माता-पिता के साथ खदानों में काम सीखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये बच्चे स्कूलों से वंचित रहते हैं क्यूंकि

- (अ) माता-पिता के काम का स्वरूप अस्थायी होता है
- (ब) स्कूल घर से दूर होता है और
- (स) बच्चे स्थानीय भाषाओं से परिचित नहीं हो पाते

इसीलिए ये बच्चे बड़े हो कर खदान मज़दूर बनने का ही सपना देखते हैं। इनमें से कई कम उम्र में ही खदानों पर माता-पिता का हाथ बटाने लगते हैं। 13-14 साल के किशोर पत्थर तोड़ने का काम सीखने से शुरूआत करते हैं और कुछ ही सालों में एक वयस्क मज़दूर की तरह काम करने लगते हैं।



माता-पिता में सामाजिक सुरक्षा का अभाव बच्चों की असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है। सामयिक बेरोज़गारी और अत्यावश्यक खर्च असुरक्षा का एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे बच पाना मुश्किल है। इस माहौल में बड़े होने वाले बच्चे भी इस असुरक्षा का शिकार होते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और अत्यावश्यक खर्च जैसे की शादि, श्राध आदि मज़दूरों को मालिकों और ठेकेदारों से कर्ज़ लेने पर मज़बूर कर देते हैं। पैसे उधार लेने पर मज़दूर फंस जाते हैं।

असल में यह कर्ज़ का एक लगातार चलते रहने वाला चक्र है। जैसे ही कोई मज़दूर कर्ज़ ले लेता है, उसकी मज़दूरी की दर घटा दी जाती है। मज़दूरी में यह कटौती मज़दूर के असल कर्ज़ के खिलाफ नहीं काटी जाती। ऐसे में इस कटौती को कर्ज़ लेने के एवज़ में मिलने वाली सजा की तरह देखा जा सकता है। इसीलिए मज़दूर कभी भी कर्ज़ का पूरा पैसा वापिस नहीं कर पता है। हालाँकि इस कर्ज़ का अगली पीढ़ी द्वारा चुकाए जाने का कोई सबूत तो नहीं है लेकिन कर्ज़ तले दब जाने से न सिर्फ़ मज़दूर बल्कि उसके परिवार की भी आज़ादी छीन सी जाती है। खास कर

बच्चों की, जो इस पारिवारिक लाचारी के कारण स्वचंद्रता से सोचने और तर्क करने की शक्ति खो देते हैं। वे किसी अन्य रोज़गार के बारे में सोच ही नहीं पाते और उनका जीवन खदानों में ही सीमित हो कर रह जाता है।


खदानों में पलने-बढ़ने के कारण बच्चे बड़ी सहजता से जीवन की कठिनाइयों को अपना भाग्य मान लेते हैं। बीमारियां और मौत मज़दूरों और उनके बच्चों के लिए आम बात है। ऐसे में बच्चे अपने माता-पिता की तरह ही खदान मज़दूर बनते हैं और कर्ज़ के चकरों में फ़ंस कर रह जाते हैं। अन्य बच्चों की तरह वे कभी बचपन का आनंद नहीं ले पाते न ही उनके माता-पिता उनकी इस मौलिक ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं।

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है की बड़ों को सामाजिक सुरक्षा और उनकी मज़दूरी का उचित दाम मिले।

### खदान में बड़े होने वाले बच्चों की समस्याएं

पथर खदान आम तौर पर आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थित होते हैं। यहाँ जरूरी सुविधाएं जैसे की स्कूल और अस्पताल उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में खदान मज़दूरों के बच्चे बाहरी दुनिया से अछूते रहते हैं। बच्चे एक निर्जन माहौल में बड़े होते हैं जहाँ उनकी मौलिक जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। जैसे कि:

बढ़ती उम्र में जब ये मौलिक जरूरतें पूरी नहीं होतीं तो इसका बच्चे के शारीरिक,



मानसिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ता है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां अपने लिए एक बेहतर रोज़गार और ज़िन्दगी की कल्पना नहीं कर पाते। यह बच्चे निर्मायी वर्षों में मौलिक विकासात्मक देख-रेख से वंचित रह जाते हैं।

खदानों में बच्चों की दशा में सुधार और उनका विकास उनके माता-पिता के कार्यस्थल नियोजन एवं मज़दूरी से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है।

मालिक, प्रशासन, श्रमिक संगठन और लोकसेवी संस्थाओं को साथ मिल कर बच्चों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

## सामाजिक सुरक्षा

यदि अब भी कार्यस्थल पर दुर्घटना या बिमारी हो तो क्या करें?

मज़दूर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें

- पहचान पत्र की मांग करें जिससे मालिक-मज़दूर संबंध स्थापित किया जा सके
- कार्यस्थल पर हाजरी रजिस्टर की मांग करें

मौलिक सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी भविष्य निधि में दी गई सुविधाएं

खदान अधिनियम में दी गई सुविधाएं

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि में दी गई सुविधाएं



माता—पिता को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है की बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास सुचारू रूप से हो सके ताकि उन्हें बड़े हो कर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सहभागिता के अवसर मिल सकें।

भविष्य निधि अधिनियम, खदान अधिनियम या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि में दिए गए अधिकार, जिनका वर्णन आगे सूचियों में किया गया है मज़दूरों को आकस्मिक खर्च में सहायता और मौलिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालाँकि, जैसा आगे के खण्डों में बताया गया है ये अधिनियम खदान में रहने या काम करने वाले बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते। मालिक खदानों में काम करने वाले बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका पूरा खर्च माता—पिता के सर आता है।

अतः खदानों में कार्यरत बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिकों की हो यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।

### श्रमिक संगठन खदानों में कार्यरत बच्चों के प्रति मालिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करें

### शिशु और छोटे बच्चे जो अपनी माँ के साथ खदानों में जाते हैं

ज्यादातर खदानों में शिशु देखभाल केंद्र का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में माँ के साथ कार्यस्थल पर आने वाले बच्चे धूल, गर्भ और शोर का शिकार होते हैं। पथर के भारी और नुकीले टुकड़ों से छोट लगने की संभावना भी बनी रहती है।

### शिशु देखभाल केंद्र

खदान शिशु पालन अधिनियम 1966 अनुसार खदान मालिक शिशु पालन कक्ष बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को अनुभवी शिशु पालक, रसोइया और दाई का संरक्षण मिले यह सुनिश्चित करना भी खदान मालिक का काम है।

### शिशु पालन कक्ष

— कार्यक्षेत्र के नज़दीक परंतु धमाके/विस्फोट वाले क्षेत्र से दूर होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी माताओं के समीप पर धूल और शोर से दूर रखे जा सकें।

— वह कमरा जिसमें शिशु पालन केंद्र हो वो ऐसा होना चाहिए की हर मौसम में सुरक्षा प्रदान कर सके। वह कमरा खुला और हवादार होना चाहिए तथा उसमें सूरज की प्राकृतिक रौशनी आनी चाहिए जिससे बच्चों का समुचित विकास हो सके।

— शिशु पालन कक्ष में बच्चों को पौष्टिक खाना और पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए। साफ—सफाई और शौचालय का भी उत्तम प्रबंध होना चाहिए। बच्चों को शुरुआती और मौलिक शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे की बड़े होने पर स्कूल की तैयारी हो सके। बच्चों की समय—समय पर स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना खदान के स्वस्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी है।

— बच्चों के लिए साफ बिस्तर, चादर, और खेलने के लिए खिलौनों का भी प्रबंध होना चाहिए।

यह भी जरूरी है की बड़े होने पर इन बच्चों का स्कूल जाना सुनिश्चित किया जाये।

### स्कूल

चूंकि खदान आबादी वाले इलाकों से दूर स्थित होते हैं स्कूल तक पहुंच पाना ही खदान में काम करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा अर्जित करने में पहली रुकावट बन जाता है। खदान अधिनियम में प्रावधान है की स्कूल बस खरीदने के लिए लगने वाली कीमत में सरकार **75%** या 7 लाख जो भी कम हो वो या मिनी बस के लिए **75%** या 5 लाख जो भी कम हो वो सहायता प्रदान करेगी।

खदान मज़दूरों और उनके श्रमिक संगठनों को इस बस की मांग करनी चाहिए ताकि बच्चे स्कूल आ—जा सकें और उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा के अवसर और रुचि अनुसार योग्यता विकास के अन्य माध्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हालाँकि, केवल अवसर प्रदान करने से यह सुनिश्चित नहीं होता की चयन करने की भी आज़ादी है। चयन करने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके इसके लिए जरूरी है की माता—पिता का रोज़गार सुरक्षित और भयमुक्त हो। माता—पिता में सुरक्षा की भावना बच्चों को खुल कर अपने पसंद का चयन करने की शक्ति देता है।

### किशोर

ऐसे किशोर जो अपने पिता के साथ खदानों में जाते हैं उनके लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है क्यूंकि वे मज़दूर की श्रेणी में

नहीं गिने जाते। असल में खनन कार्य को खतरनाक कामों की श्रेणि में रखा गया है और वहां किशोरों के काम करने पर मनाही है, इसलिए यदि दुर्घटनाएं घटती भी हैं तो उसका कोई दस्तावेज़िकरण नहीं होता है। इसी कारण से उनका उत्पीड़न और आसान हो जाता है।

## उपसंहार

कानून बनने के बावजूद गरीबी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि बच्चों का अपने माता—पिता के साथ कार्यस्थल पर जाना और खुद उनके ही द्वारा काम में लगाया जाना जारी है। बाल श्रम रोकने के रास्ते की रुकावटें संस्थागत संवेदनहीनता से गहरी रूप से जुड़ी हैं। बहुत सी खदानें, ज्यादातर वो जो बच्चों से काम करवाती हैं अपना काम कानूनी और गैर—कानूनी की बारीक रेखा के बीच करती हैं। इसके कारण इन खदानों की निगरानी और नियमन न के बराबर है। कानूनी और गैर—कानूनी के बीच की यह लकीर जितनी पतली होती है रोज़गार संबंधों में उतनी ही असुरक्षा होती है। ऐसे हालात में नियमन की तरफ पहला कदम मज़दूरों और उनके संगठनों को लेना होगा। कार्यस्थल के हालात और कार्य के नियोजन के मुद्दों पर कानून का पालन और मालिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने से मज़दूरों के बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

खदानों में काम करने वाले बच्चे बहुत सारे शारीरिक और सामाजिक खतरों का सामना करते हैं जिनका असर फौरी और दूरगामी होता है। शारीरिक खतरे जैसे कि पहले बताया गया है काम और कार्यस्थल से जुड़े होते हैं। लेकिन सामाजिक खतरों का असर कहीं ज्यादा दूरगामी होता है। खदानों का जीवन जिसमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए शाराब, तंबाकू और नशीली वस्तुओं का सेवन शामिल है और जहां काम—काज का स्वरूप भी गैर—कानूनी है, ऐसा परिवेश बच्चों को अपराध की तरफ उकसाता है। इसका समाधान समाजिकरण की ऐसी प्रक्रिया से करना जरूरी है जो मज़दूरों की कार्य प्रक्रिया और उनकी असुरक्षाओं को समझता हो। ज्यादातर जागरूकता अभियान यह मान कर चलते हैं की मज़दूर माता—पिता बालश्रम के खतरों को नहीं समझते। खदानों का नियमन और रोज़गार संबंधों का वैधिकरण बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। यह सोच की बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते क्यूंकि वे काम करते हैं पूरी तरह सच नहीं हैं। बच्चों के स्कूल जाने में प्रमुख रुकावट स्कूल तक उनकी पहुंच ना होना है। हमें यह समझना चाहिए कि मज़दूरों के बच्चों के काम करने या कार्यस्थल पर होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण गरीबी है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है की

उनके माता—पिता के कार्यस्थल का पुर्नगठन हो, उनको मज़दूरी का सही दाम समय से मिले और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कि जाए।

## अवसर पूछे जाने वाले सवाल

1). राजस्थान भवब एवं अन्य समिक्षणार्थ कामगार भविष्य विधि ने कौन बान दर्ज करा सकता है?

- (i) कोड भी कामगार जिसके 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 60 वर्ष से कम का हो और
- (ii) पिछले 12 महीने में 90 दिन या उससे अधिक भवब विभार्ण का काम किया हो अपना बान दर्ज करा सकता है।

2). यथा खदान मजदूरों की गिनती विभार्ण कार्य मजदूरों ने की जाती है?

हाँ, पर्याप्त खदान में काम करने वाले खदान मजदूरों की गिनती भवब एवं विभार्ण कार्य मजदूरों में की जाती है। वर्षोंके उनका काम पर्याप्त से संबंधित है जो कि एक विभार्ण सामाजी है।

3). राजस्थान भवब एवं अन्य समिक्षणार्थ कामगार भविष्य विधि का सदस्य बबबो के लिए किन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है?

आयु प्रमाण पत्र जिससे साधित हो सके की आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक है। यह प्रमाण पत्र आपके स्कूल या स्वास्थ्य अधिकारी के पास से प्राप्त की जा सकती है।

- सदस्यता का आवेदन प्रपत्र पांच (फार्म 5) के रूप में
- 25 रु का सदस्यता शुल्क

4). यथा खदान मजदूर कर्मचारी राज्य विभाग अधिकारियम का लाभ उठा सकते हैं।

जल्दी, खदान के मजदूर खदान अधिकारियम 1952 के तेहत के अंतर्गत आते हैं इसीलिए उन्हे कर्मचारी राज्य विभाग अधिकारियम का लाभ जानी मिलेगा।

5). यथा खदान मजदूर कर्मचारी भविष्य विधि के लाभ उठा सकते हैं? हाँ जिक मजदूरों की तबख्बाह रु 15000 महीने से कम हो वो इसका लाभ उठा सकते हैं।

यह विधम कोयला खदान के मजदूरों पर लागू जानी होता। कर्मचारी भविष्य विधि ऐसी क्षमियों में लागू होता है जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हो।

6). कर्मचारी भविष्य विधि में अविवार्य भुगतान की यथा शर्तें हैं? यह एक सालाहता कोष की तरह है। इसमें मजदूर और गालिक दोनों चंदा भरते हैं।

मजदूर द्वारा मूल वेतब + महंगाई भत्ता का 12%

गालिक द्वारा मजदूर के मूल वेतब + महंगाई भत्ता का 12%

जैसे की, यदि किसी मजदूर को रु 6000 महीना मिलता है (मूल वेतब + महंगाई भत्ता)

तो उस कामगार का कर्मचारी भविष्य विधि होगा रु 720। याबि हर महीने उस कामगार को हाथ में मिलेंगे रु 5280।

7). वेतब ने इस कटीती के बदले आपको क्या मिलता है?

मूल वेतब का 12%+ महंगाई भत्ता व्यवितरण श्रमिक द्वारा

मूल वेतब का 12%+ महंगाई भत्ता वियोक्ता द्वारा उस विशिष्ट श्रमिक के लिए

और, वेतब का 3.67%+ महंगाई भत्ता वियोक्ता द्वारा, प्रशासनिक कार्यों के लिए

तो, अगर एक श्रमिक 6000 रुपये (वेतिका+महंगाई भत्ता) एक महीने में कमाता है।

उस श्रमिक का पीएफ योगदान हर महीन 720 रुपये होगा।

यह राशि के लिए वैधानिक कटीती के रूप में वेतब से कटीती की जाएगी।

8) वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन होता है?

हर खदान जहाँ 300 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों वहाँ तीव्र मजदूरों को वर्कमैन इंस्पेक्टर बताया जाबा चाहिए। इब विरीक्षकों का चयन गालिकों / प्रबंधन द्वारा मजदूरों और उनके जान्य श्रमिक संगठन की भागीदारी से किया जाबा चाहिए। जहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1500 से अधिक हो वहाँ उसके अनुसार इब विरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

9). सुरक्षा समिति (सेफ्टी कमेटी) क्या होती है?

यह प्रबंधकों/गालिकों और मजदूरों की भागीदारी से बनी एक समिति होती है जिसमें:

- प्रबंधक (अध्यक्ष होता है)

- अध्यक्ष द्वारा नियोजित 5 कर्मचारी

- 5 मजदूर सदस्य

- वर्कमैन इंस्पेक्टर

- सुरक्षा अधिकारी

सदस्य होते हैं।

लाभ	खदान अधिनियम	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि में 10 फिट की गहराई तक काम करने वाले मज़दूर		
शिशु कक्ष	खदान शिशु कक्ष अधिनियम के अंतर्गत शिशु कक्ष बनवाने की जिम्मेदारी खदान मालिकों की है	कार्यस्थल पर शिशु कक्ष		
शिक्षा	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ	लड़के
कक्षा I to IV (कपड़े एवं किताबें)	रु. 250	रु. 250		
कक्षा V to VIII	रु. 940	रु. 500		
कक्षा IX	रु. 1140	रु. 700		
कक्षा X	रु. 1840	रु. 1400		
कक्षा VIII-X			हर साल रु. 2000 की छात्रवृत्ति	
कक्षा XI-XII	रु. 2440	रु. 2000	हर साल रु. 3000 की छात्रवृत्ति	
छात्रवृत्ति	हर स्कूल जाने वाले बच्चे को शादी या २१ साल की उम्र पूरी होने तक रु.250			
3 साल की डिग्री या डीलोमा/स्नातकोत्तर / वृत्तिकस्ना तक	रु. 3000	रु. 3000	स्नातक में हर साल रु. 5000 की छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर में हर साल रु. 10,000 की छात्रवृत्ति	
मेडिकल या यांत्रिकी	रु. 15000	रु. 15000	छात्रवृत्ति स्नातक, अभियांत्रिकी एवं मेडिकल स्नातक को हर साल रु. 20,000 छात्रवृत्ति	
<b>स्वास्थ्य</b>				
मातृत्व लाभ	दो जिवित बच्चों तक रु. 1000 इस के लिए कम से कम 6 महीने काम पर होना जरूरी है	हर डिलिवरी पर रु. 6000		
परिवार नियोजन ऑपरेशन	दो बच्चों के बाद करवाने पर रु. 500			
चश्मे	प्रत्येक ओंख के लिए रु. 300			
कैंसर	100% असल खर्च की भरपाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में रु. 30,000 तक सरकारी विन्हीत अस्पतालों में बिना पैसे इलाज		
दिल की बिमारी	ज्यादा से ज्यादा रु. 130,000 की भरपाई			

<b>गुर्दा बदलवाना</b>	हर महीने रु.750 से रु. 1000 का निवाह भत्ता जब तक इलाज चल रहा हो तब तक ज्यादा से ज्यादा रु. 200,000 की भरपाई	
<b>सिलिकोसिस</b>	हर महीने रु. 750 से रु. 1000 का निवाह भत्ता जब तक इलाज चल रहा हो तब तक रु. 100,000 पहचान और मेडिकल बोर्ड से सत्यापन के बाद सिलिकोसिस की वजह से मृत्यु पर रु. 500,000	
<b>दुर्घटना</b>	गंभीर दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता: - पहली बार: रु.10,000 - रु. 1000 हर महीने अगले पांच साल तक	दुर्घटना से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता: रु. 500,000
<b>मृत्यु</b>	निर्भर परिवार वालों को रु. 1500 अंतिम संस्कार के लिए	निर्भरपरिवारवालोंको रु 5000 अंतिमसंस्कार के लिए
<b>बीमा</b>	18-60 वर्ष के मज़दूरों के लिए सामूहिक बीमा	
	<b>मृत्यु</b>	
	- कम पर रहते हुए सामान्य मृत्यु: रु. 10,000	
	- दुर्घटना से मृत्यु रु.25,000	
	<b>दुर्घटना</b>	
	- आंशिक: रु.12,500	
	- पूर्ण अपरंगता: रु.25,000	
<b>शादी</b>	विधवा या विधूर की बेटी की शादी में रु. 5,000 की आर्थिक सहायता (वो बेटियों की शादी तक)	बेटी की शादी के लिए रु. 51,000 की आर्थिक सहायता
<b>साइकिल</b>		साइकिल या रु. 3000
<b>घर के लिए कर्ज और छूट</b>	घर किराये का 25% या रु. 50,000 छूट जो कम हो वो मालिकों को मज़दूरों घर बनाने के लिए दिया जाता है	
<b>पेशन</b>		60 वर्ष के बाद हर महीने रु. 1000

Fundamental Principles and Rights at Work  
Branch (FUNDAMENTALS)

International Labour Organization  
4 route des Morillons  
CH-1211 - Geneva 22 - Switzerland  
Tel: +41 (0) 22 799 81 81  
Fax: +41 (0) 22 798 86 85

[fundamentals@ilo.org](mailto:fundamentals@ilo.org) - [www.ilo.org/childlabour](http://www.ilo.org/childlabour)

IndustriALL Global Union South Asia Office  
16 D, Atmaram House,  
1, Tolstoy Marg,  
New Delhi – 110001

[sao@industriall-union.org](mailto:sao@industriall-union.org) - [www.industriall-union.org](http://www.industriall-union.org)

ISBN 978-92-2-830799-3



9 789228 307993